छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश के लिए सुरक्षित दिनाँक : 03.07.2024

आदेश पारित दिनाँक : 02.09.2024

आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक–473 वर्ष 2024

ए बी सी

..... आवेदक

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारा :– थाना प्रभारी,

पुलिस थाना आरंग, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

..... उत्तरवादी

आवेदक की ओर से – श्री. सी०आर० साहू अधिवक्ता।

उत्तरवादी/राज्य की ओर से – श्री. विनय पांडे उप महाविधवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू

सी ए व्ही आदेश

1. यह पुनरीक्षण विधि से संघर्षरत किशोर के द्वारा आपराधिक अपील क्रमांक–178 वर्ष 2023 में पारित आदेश दिनाँक 19.10.2023 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलीय न्यायालय के द्वारा किशोर न्याय (बालकों देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम 2015 (जिसे इसके पश्चात् "2015 का

अधिनियम" से संबोधित किया गया है) की धारा 15 के अंतर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, माना कैम्प रायपुर (संक्षिप्त में "परिषद") के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील में खारिज कर दिया गया है।

2. आवेदक की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को अपराध क्रमांक 126/2023 धारा 302, 376, 511 भारतीय दंड संहिता के अपराध में गिरफ्तार किया गया। उक्त कथित आपराधिक कृत्य के समय आवेदक का उम्र 18 वर्ष से कम था, इस कारण उसे परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिषद ने वर्ष 2015 की अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान के अनुसार मनोरोग विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त कर प्रारंभिक आंकलन की कार्यवाही प्रारंभ किया। परिषद ने बालक मानसिक रूप से सामान्य होने की मनोरोग विशेषज्ञों के प्रतिवेदन पर विश्वास करते हुए एक आदेश पारित किया है कि बालक न्यायालय के द्वारा आवेदक के प्रकरण की विचारण किया जाना उचित होगा। परिषद का उक्त आदेश वर्ष 2015 की अधिनियम की योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप नहीं है, इस कारण वर्ष 2015 की अधिनियम की धारा–101 के अंतर्गत अपील न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती दी गई और विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अधिनियम एवं नियम 2016 के नियम 10 ए के प्रावधानों के उद्देश्य को अनदेखा करते हुए अनुचित रीति से अपील खारिज किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. राज्य की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क का विरोध किया और तर्क किया कि परिषद ने कथित आपराधिक कृत्य के अनुक्रम में विधि से संघर्षरत किशोर को उसके समक्ष पेश किए जाने के पश्चात् 2015 की अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए शीघ्र रूप से प्रारंभिक आंकलन की कार्यवाही इस कारण प्रारंभ किया कि अपराध कारित करने की तिथि में आवेदक 17 वर्ष से ऊपर तथा 18 वर्ष से कम उम्र का था। उन्होंने तर्क किया कि किशोर न्याय (बालकों का देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 की नियम 10 ए के अनुसार मनोरोग विशेषज्ञ की सहायता एवं उनके प्रतिवेदन के आधार पर परिषद ने आदेश पारित किया है कि विधि से संघर्षरत किशोर जघन्य अपराध के लिए सकारात्मक रूप से आंकलित किया गया और उसके अनुसार बालक न्यायालय के द्वारा विचारण किए जाने हेतु निर्देशित किया। अपील में परिषद का उक्त आदेश की पुष्टि की गई। अपीलीय न्यायालय ने भी मनोरोग विशेषज्ञ की प्रतिवेदन पर विचार किया तथा परिषद के द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए अपील निरस्त की गई, इस कारण उक्त आदेश पर कोई हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना ।

5. आवेदक ने परिषद के द्वारा वर्ष 2015 की अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत पारित आदेश की सत्यापित प्रति एवं मनोरोग विशेषज्ञ के प्रतिवेदन दिनाँक

26.07.2023 कवरिंग ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किया था। प्रतिवेदन के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि केवल एकमात्र मनोरोग विशेषज्ञ द्वारा आवेदक का परीक्षण किया गया था। विधि से संघर्षरत किशोर के परीक्षण/परामर्श के आधार पर नीचे लिखे अनुसार निष्कर्ष देते हुए आंकलन तालिका तैयार की गई :–

"5. निष्कर्ष –

स०क्र०	क्षेत्र	रॉ स्कोर	परसेंटाईल रैंक	स्टेनाईन ग्रेड	समस्या का स्तर
1.	परिवार	11	पी 23	3–4	औसत से कम
2.	विद्यालय/ महाविद्यालय	06	पी 24	3–4	औसत से कम
3.	सामाजिक	03	पी 39	3–4	औसत से कम
4.	व्यक्तिगत	04	पी 07	1–2	अत्यधिक कम
5.	संपूर्ण	24	पी 14	3–4	औसत से कम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. ऊपरवर्णित तालिका के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि उक्त आंकलन के पाँच कॉलम में से चार कॉलम को औसत से कम तथा एक को अत्यधिक कम होना बतलाया गया है और मनोरोग विशेषज्ञ ने अपने प्रतिवेदन में यह निष्कर्ष दिया है कि बालक सामान्य है।

7. आगे बढ़ने के पहले मैं यह उचित पाता हूँ कि सुलभ संदर्भ हेतु वर्ष 2015 की अधिनियम की धारा 15 और उसके साथ नियम 2016 के नियम 10–ए के

प्रावधानों को उदधृत की जावे, जो नीचे लिखानुसार है –

15. परिषद द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक आंकलन – (1) किसी ऐसे बालक, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है अथवा उससे अधिक है, द्वारा कारित किये जाने के लिए अभिकथित जघन्य अपराध की दशा में, परिषद उस अपराध के कारित करने के लिए उसकी मानसिक तथा शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों और उन परिस्थितियों, जिनमें उसने अभिकथित रूप से अपराध कारित किया था, को समझने की क्षमता के संबंध में प्रारंभिक आंकलन करेगा और धारा 18 की उप–धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परंतु यह कि ऐसे आंकलन के लिए परिषद् अनुभवी मनोविज्ञानी अथवा मनो–सामाजिक कार्यकर्ताओं अथवा अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक आंकलन विचारण नहीं है बल्कि वह उस बालक की अभिकथित अपराध को कारित करने तथा उसके परिणामों को समझने की क्षमता का आंकलन करना है।

(2) जब परिषद का प्रारंभिक आंकलन पर समाधान हो जाता है और मामले का परिषद् द्वारा निस्तारण किया जाता है तो परिषद् जहाँ तक संभव हो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन सम्मन वाद में विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा :

परंतु यह कि मामले का निस्तारण करने के लिए परिषद का आदेश धारा 101 की उप–धारा (2) के अधीन अपील योग्य होगा :

परंतु अग्रेतर यह कि इस धारा के अधीन आंकलन को धारा 14 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जायेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियम 10–क. परिषद् द्वारा जघन्य अपराधों का प्राथमिक आंकलन – (1) परिषद्, प्रथम दृष्ट्या यह अवधारित करेगा कि क्या बालक की आयु सोलह वर्ष या उससे अधिक है, यदि नहीं तो परिषद, अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(2) जघन्य अपराधों के प्राथमिक आंकलन के प्रयोजनार्थ परिषद्, मनोवैज्ञानिकों या मनो–सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। जिला बाल संरक्षण

इकाई ऐसे विशेषज्ञों का पैनल उपलब्ध करा सकता है, जिनकी सहायता परिषद् ले सकता है या परिषद् उनसे अलग से भी संपर्क कर सकता है।

(3) प्राथमिक आंकलन करते समय बालक के निर्दोष होने की उपधारण की जाएगी, यदि अन्यथा सिद्ध न हुआ हो।

(4) जहाँ परिषद्, अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्राथमिक आंकलन के बाद यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक पर विचारण वयस्क के रूप में किए जाने की आवश्यकता है तो परिषद् ऐसे आदेश के कारण समनुदेशित करेगा और आदेश की प्रति उस बालक को तुरंत दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. किशोर न्याय प्रशासन हेतु संयुक्त राज्य मानक न्यूनतम नियम के तहत् बालकों के अधिकारों पर हुए अभिसमय (Convention) में विहित मानकों को ध्यान में रखते हुए विधि से संघर्षरत कथित बालक को उसके देखरेख एवं संरक्षण हेतु व्यापक प्रावधान करना वर्ष 2015 की अधिनियम का उद्देश्य है।

9. वर्ष 2015 की अधिनियम की धारा–2(12) परिभाषित करती है कि "बालक" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। धारा–2(13) परिभाषित करती है कि "विधि से संघर्षरत किशोर" का अभिप्राय ऐसे बालक से है जिसका अपराध को कारित करना अभिकथित है या पाया

जाता है और जिसने उस अपराध के कारित किये जाने की तारीख पर अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। धारा–2(9) परिभाषित करती है कि "बालक का सर्वोत्तम हित" का अभिप्राय बालक के संबंध में उसके मूलभूत अधिकारों तथा आवश्यकता, पहचान, सामाजिक भलाई और शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास की पूर्ति करने हेतु लिये गये किसी भी निर्णय के आधार से है। धारा–2(33) परिभाषित करती है कि "जघन्य अपराध" में ऐसे अपराध सम्मिलित हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि के अधीन न्यूनतम दंड सात वर्ष या उससे अधिक का कारावास है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. हस्तगत मामले में आवेदक विधि से संघर्षरत बालक होकर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376, 511 के अंतर्गत अपराध कारित किया है, जो वर्ष 2015 की अधिनियम की धारा 33 (2) के अंतर्गत परिभाषित जघन्य अपराध के अंतर्गत आता है। अपराध जो कारित किया गया है, वह जघन्य अपराध होने के कारण परिषद ने वर्ष 2015 की अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए किशोर, जिसका उम्र 17 वर्ष से ऊपर एवं 18 वर्ष से कम था, उसके प्रारंभिक आंकलन की कार्यवाही किया।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बरून चंद्र ठाकुर बनाम मास्टर भोलू एवं अन्य (2022) 10 एस सी आर 595** में विधि से संघर्षरत किशोर की प्रारंभिक आंकलन के बिन्दु पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

> 64. धारा 15 एवं नियम 10 ए प्रावधान करती है कि परिषद ऐसे मनोविज्ञानी, मनोसामाजिक कार्यकर्ता या अन्य विशेषज्ञों का सहायता ले सकता है, जो कठिन परिस्थितियों से संघर्षरत किशोर के संबंध में कार्य करने का अनुभव रखते हैं। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार शब्द "कर सकता" को मात्र "कर सकता" ही पढ़ा जाना चाहिए अर्थात् परिषद अपने विवेक के अनुसार ऐसे विशेषज्ञों का सहायता ले भी सकता है या नहीं भी ले सकता। इसके विपरीत उत्तरवादी की ओर से घोर विरोध करते हुए बतलाया गया है कि शब्द "कर सकता" को "करेगा" के अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए। प्रारंभिक आंकलन का आदेश पारित करने के पूर्व परिषद् को ऐसे विशेषज्ञों की राय या सहायता लेना आज्ञापक है, उक्त पहलू को पश्चातवर्ती प्रक्रम में निराकृत किया है।
>
> 65. जब भी एक बालक को वयस्क के रूप में मान्य किये जाने हेतु उसका/उसकी शारीरिक परिपक्वता, ज्ञान कौशल क्षमता, सामाजिक एवं भावनात्मक क्षमताओं को ध्यान में रखना होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यहाँ यह उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि तंत्रिका जीव विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, ज्ञान कौशल का विकास, आचरणगत गुण जैसे देर से संतुष्टि की योग्यता, निर्णय करने की क्षमता, जोखिम लेने, आवेगता, निर्णय करना इत्यादि लगातार होता रहता है जब तक प्रारंभिक 20 का न हो।

66. बौद्धिक क्षमता का विकास अनुवांशिक कारकों पर ज्यादातर निर्भर करता है। भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास को प्रभावित करने की कम संभावना रखता है, इसके बाद भी यदि भावनाएं इतना प्रबल है कि बालक अपनी भावनाओं को प्रभावी रूप से विनियमित करने हेतु अयोग्य है तब बौद्धिक क्षमता/ज्ञान में वह पिछड़ सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

67. उच्च न्यायालय के द्वारा दी गई कारणों से हम सहमत हैं कि एक बार पुनः आंकलन किया जाना चाहिए, ऐसा मनोविज्ञानी ने सिफारिश किया था तथा संस्था का नाम भी सुझाया था। परिषद तथा बालकों का न्यायालय स्पष्ट रूप से इस विचार में थे कि मानसिक क्षमता और अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता एक ही थे तथा इस प्रकार यह कहा जाता है कि यदि बालक के पास अपराध कारित करने की मानसिक क्षमता है तब उसके पास

स्वचालित रूप से अपराध के परिणामों को समझने की भी क्षमता है। हमारे मतानुसार यह उनके द्वारा कारित गंभीर त्रुटि है।

68. धारा 15 में प्रयुक्त भाषा यह है कि "अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता"। प्रयुक्त अभिव्यक्ति बहुवचन में है अर्थात् अपराध के " परिणामों " तथा इस प्रकार अपराध के तत्कालिक परिणाम तक सीमित नहीं होना चाहिए या अपराध का घटना केवल मात्र पी़डित को प्रभावित नहीं करेगी बल्कि परिणामों को संपूर्ण अर्थ में लेकर हमले के परिणाम के रूप में केवल पी़डित को प्रभावित नहीं करेगी बल्कि पी़डित के परिवार, बच्चे को भी प्रभावित करेगी और केवल तत्कालिक प्रभाव नहीं डालेगी बल्कि भविष्य में दूरगामी प्रभाव डालेगी। परिणामें भौतिक/शारीरिक रूप में नहीं हो सकता बल्कि आने वाले प्रत्येक समय के लिए बालक के मनोविज्ञान एवं मन को भी प्रभावित करेगी। अपराध के परिणामें बहुत से तथा कई गुणा हो सकता है जिसका कोई रूपरेखा नहीं बनाया जा सकता और इस लक्ष्य के लिए मामले के तथ्यों के संदर्भ में संपूर्ण तथ्य जैसा कि भविष्य की परिणामें को परिषद् के द्वारा निष्ठापूर्वक विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

69. अपराध की परिणामें पी़डित की मृत्यु या स्थाई शारीरिक विकलांगता या क्षति जो सुधार योग्य या प्रतिपूर्ति योग्य भी हो सकती है, पी़डित के मन पर अपराध का प्रभाव उसके जीवनकाल में बहुत समय तक या लगातार बना रह सकता है, पी़डित के परिवार एवं मित्रों पर मानसिक एवं आर्थिक प्रभाव, घिरते जा रहे बालक पर परिणामें, बालक पर मानसिक प्रभाव ये सब बालक तथा उसके परिवार के सदस्यों पर सामाजिक कलंक होकर उनके जीवन के लिए पछतावा एवं ग्लानि हो सकती है। मुकदमेबाजी के परिणामें और ऐसे ही गई चीजें, जिसका रूपरेखा बनाना कठिन होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

70. x x x x x

71. बालकें तत्कालिक लाभ की ओर अत्यधिक अग्रेषित होते हैं तथा वे अपने कार्यों के लंबे समय तक पड़ने वाले परिणामों को गहराई से समझने में असमर्थ होते हैं। युक्ति से अधिक भावुकता से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अन्वेषण यह दर्शाती है कि युवा आदमी उसके द्वारा लिए जा रहे जोखिम को जानता है। इस जानकारी के बावजूद वयस्क से ज्यादा किशोर जोखिम भरे गतिविधियों में जुड़ जाते हैं (जैसे कि औषधि एवं मदिरा सेवन, असुरक्षित लैंगिक

गतिविधि, खतरनाक मोटर चालन और/या आपराधिक आचरण) जबकि वे जोखिमों का ज्ञानपूर्वक विचार करते हैं (किसी विशिष्ट कार्य की जोखिमों एवं पुरस्कार पाने की क्षमता बढ़ाकर), उनके निर्णय/कार्य सामाजिक (जैसा कि बुजुर्गों का प्रभाव) और भावनात्मक (जैसा कि आवेगशील) प्रवृत्ति से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त बालकों के कार्यों से लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभाव को गहरे रूप से समझने की सीमित क्षमता के साथ उनका अनुभवहीनता उन्हें आवेगशील/उथले निर्णय लेने की ओर अग्रसर करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

72. अंतिम निष्कर्ष में आकर अर्थात् परिस्थितियों का आंकलन जिसमें अपराध कारित की जाती है, वह पुनः उत्तरदायित्वपूर्ण है जिसमें बहुत से कारकों पर ऐसे आंकलन के पूर्व विचार किया जा सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपराध कारित करने का कारण अनेक होते हैं। दुश्मनी से हो सकती है, गरीबी से हो सकती है, लालच से हो सकती है, मानसिक विकृतता से हो सकती है। प्रपीड़न से हो सकती है। किसी व्यक्ति के जीवन एवं संपत्ति को धमकी देने से हो सकती है। भौतिक एवं संसारिक लालच से हो सकती है। अपराध तनाव एवं अवसाद से भी कारित की जाती है।

किसी के साथ रहने के कारण भी अपराध कारित हो सकती है। कोई अपने परिवार एवं मित्र की सहायता करने के अनुक्रम में अपराध कारित कर सकता है। ये सभी और भी परिस्थितियाँ हो सकती है जिससे अपराध गठित हो।

12. ऊपरवर्णित निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रारंभिक आंकलन के अन्वेषण, विश्लेषण एवं वाद विवाद को उल्लेखित किया और इसके साथ वर्ष 2015 की अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभिक आंकलन पर यूनीसेफ (UNICEF) के साथ मिलकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उड़ीसा के अध्ययन को उदधृत भी किया है कि "बालक एवं किशोर मनोरोग विभाग NIMHANS बंगलूरू के द्वारा विधि से संघर्षरत किशोरों के प्रारंभिक आंकलन प्रतिवेदन पर आधारित मार्गदर्शन नोट्स" जो नीचे लिखानुसार है :–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बालक एवं किशोर मनोरोग विभाग NIMHANS बंगलूरू के द्वारा विधि से संघर्षरत किशोरों के प्रारंभिक आंकलन प्रतिवेदन पर आधारित मार्गदर्शन नोट्स

प्रारंभिक आंकलन में विस्तृत मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य आंकलन से प्राप्त संसूचना का उपयोग होता है (यह पहले किया जाता है) उसके बाद उन संसूचना को नीचे लिखानुसार प्रस्तुत करती है –

अ. कथित अपराध कारित करने की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता

सामाजिक विनिश्चयों एवं निर्णयों करने की बालकों की योग्यता बनाये जाने के कारण :

(1) जीवन कौशल की कमी (भावनात्मक विकृति/मित्रों के दबाव एवं अग्राहिता से कोई बात मान लेने की समस्या और किसी विवाद को सुलझाने की कौशल/समस्या सुलझाना/ विवाद सामाधान/निर्णय करना)

(2) परिवार द्वारा नजरअंदाज पूर्वक/बहुत कम देखरेख करना /पारिवारिक आदर्श की कमी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) दुर्व्यवहार तथा संघात का अनुभव

(4) मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या

(5) बौद्धिक अयोग्यता

(6) मानसिक विकार/विकासात्मक विकलांगता

(7) जहाँ तक दिया गया उपचार/हस्तक्षेप

मार्गदर्शन नोट्स

इस धारा के लिए पेशेवर रूप से भरने के लिए प्रत्येक चीज के लिए चिन्ह लगाने के लिए सामान्य रूप से प्रारंभिक आंकलन फार्म की

आवश्यकता पड़ती है। (" हाँ " का संकेत करने के लिए टिक मार्क (चिन्ह) तथा " नहीं " का संकेत करने के लिए एक x चिन्ह) चाहे बालक इस विशिष्ट क्षेत्र से सहमत हो या नहीं हो। विस्तृत मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रोफार्मा के सुसंगत वर्ग से संसूचना लिया जाता है जिसमें संसूचना सम्मिलित रहती है: उचित सामाजिक विनिश्चय एवं निर्णय करने की बालकों की क्षमता (जो कार्य एवं व्यवहार के रूप में परिणित हो) को किस प्रकार बालक के जीवन परिदृश्य एवं मानसिक स्वास्थ्य या विकासात्मक समस्या से प्रभावित किया जाए।

बिन्दु (i) के लिए जीवन कौशल की कमी धारा–6 को संदर्भित करता है, "जीवन कौशल की कमी तथा बालक का अन्य प्रेक्षण क्षमता" तथा जीवन क्षमता की कमी पर उपधारा 6.1।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बिन्दु (ii) के लिए पारिवारिक मुद्दों की पहचान पर धारा 2, उपधारा 2.1 को संदर्भित करता है, बिन्दु (iii) के लिए दुर्व्यवहार एवं संघात की अनुभव को उपधारा 3 सदंर्भित करता है, संघात अनुभव : शारीरिक, लैंगिक तथा भावनात्मक दुर्व्यवहार के अनुभवों।

बिन्दु (iv) एवं (vi) के लिए मादक द्रव्यों की सेवन की समस्याएं और मानसिक विकारें/विकासात्मक विकलांगता को धारा 5 संदर्भित करता है " मानसिक स्वास्थ्य संबंधी "।

बिन्दु (v) के लिए बौद्धिक अयोग्यता पर आप मनोसामाजिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रोफार्मा के संपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान बालक के साथ आपके परिचर्चा पर आधारित अपने निर्णय का सहारा ले सकते हैं। यदि बालक कई प्रश्नों का उत्तर देने में अयोग्य है या आयु अनुसार 2 का उत्तर दिया (जैसे एक छोटा बालक पूछे गए तथा चर्चा किए गए कई मुद्दों की समझ को कम अभिव्यक्त करता है) तब आप यह संदेह करते हैं कि वह बौद्धिक रूप से विकलांग है (उक्त का अनुसरण करते हुए मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं में मनोविज्ञानी के द्वारा संचालित सुसंगत आई क्यू परख से इसे पुष्ट करने के लिए यह उपयोगी तथा आवश्यक होगा।)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बिन्दु (vii) के लिए आप आंकलन के समय बालक से पूछताछ कर सकते हो कि उसने अपनी मानसिक स्वास्थ्य समस्या/ पारिवारिक समस्या या उसे होने वाले जीवन कौशल की कमी का कोई पेशेवर सहायता या उपचार प्राप्त कर चुका है। (सामान्यतः संप्रेक्षण गृह में रहने वाले बालक अपनी समस्या के कोई उपचार या पूछ–परख कभी भी प्राप्त नहीं किए हैं।)

<u>वास्तविक तथ्य यह है कि गंभीर शारीरिक विकलांगता (यह वह है जो गंभीर रूप से बालक की गति कौशल को प्रभावित करता है) या बौद्धिक विकलांगता से ग्रसित कुछ व्यक्ति को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति</u>

अपराध कारित करने की शारीरिक एवं मानसिक दक्षता रखते हैं। इस कारण यह प्रश्न कि क्या प्रस्तुत बालक अपराध कारित करने की मानसिक एवं शारीरिक दक्षता रखता है, तब साधारण प्रक्रम में अधिकांश प्रकरणों में उसका उत्तर " हाँ " में दिया जाना संभव है क्योंकि कुछ बालक अपराध कारित करने की शारीरिक एवं मानसिक दक्षता रखते हैं, इसका यह अर्थ नहीं होता है कि वे अपराध कारित करेंगे या अपराध कारित कर चुके हैं। इस कारण जे०जे० एक्ट के आधार पर उत्पन्न होने वाला इस प्रश्न का दो विकल्प वाला उत्तर, ऐसे बालक जो विधि के साथ संघर्षरत् हैं, के बारे में निष्कर्ष निकालने में कुछ उपयोगी है। शारीरिक मानसिक दक्षता के प्रश्न के साधारणतः दो विकल्प वाले उत्तर से समस्याओं को समझने की दिशा में हम एक अत्यधिक विस्तृत, वर्णात्मक एवं सूक्ष्म विवेचन को अपना चुके हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रारंभिक आंकलन रिपोर्ट जिसे हमारे द्वारा विकसित किया गया है, के अनुसार हम अपराध कारित करने की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता, जो बालक की कुछ निश्चित सीमाओं पर आधारित सामाजिक विनिश्चय एवं निर्णय करने की बालक की योग्यता होता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक विनिश्चय एवं निर्णय करने की बालकों की योग्यताएं, जीवन कौशल की कमी, परिवार द्वारा नजरअंदाज पूर्वक/बहुत कम देख–रेख करना/पारिवारिक आदर्श की कमी, दुर्व्यवहार तथा संघात

का अनुभव, मादक द्रव्यों की सेवन की समस्या, बौद्धिक विकलांगता और/या मानसिक विकार/ विकासात्मक विकलांगता के कारक आपस में मेल जोल रखते हैं। ऐसे कारक (यदि उपचार नहीं किए गए) प्रतिकुल रूप से बालकों के संसार के प्रति दृष्टिकोण और अपने शारीरिक एवं सामाजिक वातावरण के साथ उसके प्रतिक्रिया पर प्रभाव डालती है जो उसे असामाजिक गतिविधियों में जुड़ने की जोखिम में डाल देती है।

13. प्रारंभिक आंकलन के समय विचार में लिए जाने वाला महत्वपूर्ण कारक "परिस्थितियाँ" हैं जिसमें विधि से संघर्षरत् किशोर ने कथित अपराध कारित किया तथा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उड़ीसा के अध्ययन के अनुसार मार्गदर्शक कारक है जिससे ऊपरवर्णित निर्णय में उद्धृत किया गया है, उसे भी संदर्भ हेतु नीचे लिख अनुसार उद्धृत किया जाता है :–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ब. कथित अपराधों की परिस्थितियाँ

(i) पारिवारिक इतिहास तथा रिश्ते–नातेदारी (बालक का जीवन व्यवस्था, माता–पिता से रिश्ता, बालक का अपने माता–पिता से भावनात्मक रिश्ता एवं ममत्व, परिवार में बीमारी तथा मद्यपान, घरेलू हिंसा तथा वैवाहिक कलह)

(ii) विद्यालय और शिक्षा (बालक का विद्यालय में उपस्थिति, अंतिम उपस्थिति श्रेणी, विद्यालय में बालक का अनुपस्थिति का कारण सब आर्थिक कठिनाईयों, अनुप्रेरणा दिये जाने का अभाव, स्कूल, विद्यालय जाने से इंकारी, शारीरिक दंड की वजह से उपजे कारणों से है)

(iii) कार्य का अनुभव/बाल श्रम (किन कारणों से बालक को कार्य करना पड़ा/बालक ने कार्य करने का स्थान कैसा प्राप्त किया जहाँ वह कार्य कर रहा था/काम के घंटे तथा प्राप्त पारिश्रमिक की राशि, क्या नियोक्ता के द्वारा कोई शारीरिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार किया गया था जिसके नकारात्मक प्रभाव से बालक कार्यस्थल में मादक द्रव्यों की सेवन इत्यादि का अनुसरण कर किया है)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iv) दोस्तों के साथ रिश्ता (बिगड़े हुए दोस्त मादक द्रव्यों की सेवन करने/नियम विरूद्ध काम करने/अनुचित लैंगिक आचरण करने/ विद्यालय में अनुपस्थित रहने हेतु प्रेरित करते हैं)

(v) दुर्व्यवहार तथा संघात का अनुभव (शारीरिक, लैंगिक तथा भावनात्मक दुर्व्यवहारों का अनुभव)

(Vi) मानसिक विकार/विकासात्मक विकलांगता जिसे बालक रखता हो।

मार्गदर्शन नोट्स

ऊपरवर्णित इस धारा के सभी संसूचना विस्तृत आंकलन से प्राप्त सुसंगत प्रावधान पर तैयार मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य आंकलन दस्तावेजी होनी चाहिए ताकि यह दर्शित हो सके कि वे कारकों एवं परिस्थितियाँ जिससे बालक को असुरक्षित कर अपराध कारित करने हेतु तैयार किया हो।

प्रथम चार शीर्षक की संसूचना के लिए धारा 2 से सामाजिक इतिहास, मनोसामाजिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रोफार्मा जिसमें परिवार, स्कूल, संस्थान एवं साथियों की विस्तृत समस्याएं से तैयार किये जाने की आवश्यकता होती है, पाँचवा शीर्षक सदमा पर धारा 3 से सदमा का अनुभव: शारीरिक, लैंगिक तथा भावनात्मक दुर्व्यवहार अनुभवों के मनोसामाजिक आंकलन फार्म से तैयार किये जाने की आवश्यकता होती है, छठवाँ शीर्षक मनोविकार पर धारा 5 से मनोसामाजिक आंकलन फार्म से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी (मादक द्रव्यों की सेवन को जोड़कर तैयार किये जाने की आवश्यकता होती है।)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह ज्ञात होना महत्वपूर्ण है कि अपराध की परिस्थितियाँ निकटवर्ती कारकों को संदर्भित नहीं करती अर्थात् अपराध घटित होने पूर्व जो घटनायें घटती है, वह रोल अदा करता है। इस कारण निकटवर्ती कारकों का एक इतिहास होता है जिससे पहचानना

महत्वपूर्ण होता है– एक संपूर्ण कारकों एवं जीवन की घटनाओं का समुच्चय होता है जो अपराध के साथ–साथ स्वयं अपराध के पूर्व विनिश्चयों एवं कार्यों को प्रेरित करती है। इस कारण "परिस्थितयाँ" जीवन की परिस्थितियाँ के रूप में व्याख्या किये जाते हैं तथा बालक की असुरक्षा एवं अपराध के रास्ते को समझने के लिए एक समांतर उपाय के रूप में लिया जाता है। ये अपरिहार्य घटनाएं एवं परिस्थितियाँ बालक के जन्म से (या माता के गर्भधारण के अनुभवों के समय से) वर्तमान समय तक चलती है। किशोर के मानसिक स्वास्थ्य की इतिहास लेकर सात वर्ष के भीतर उन्हें हुए अनुभवों एवं प्रसंगों पर आधारित बच्चों के भावना एवं व्यवहार को समझने के योग्य बनाने के लिए यह एक सार्वभौमिक उपाय है। (तथा इस कारण यह विधि से संघर्षरत किशोरों के लिए वास्तविक रूप से विशिष्ट नहीं है।)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. परिषद के समक्ष विशेषज्ञों के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन ऊपरवर्णित पहलूओं को दर्शित नहीं करता जो वर्ष 2015 की धारा 15 में प्रयुक्त भाषा की दृष्टि में प्रासंगिक है जैसे कि पारिवारिक इतिहास तथा रिश्तेदारी, विद्यालय एवं शिक्षा तथा कार्य जिससे किशोर अपराध कारित करते समय जुड़ा था, क्या मित्रों के

संबंध से उसे सदमा और दुर्व्यवहार (शारीरिक, लैंगिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार की अनुभव) मनोविकार/विकासात्मक विकलांगता कारित की गई थी।

15. वर्ष 2015 की अधिनियम "बालक की बेहतर हित" के वृहत उद्देश्य के साथ अधिनियमित हुआ, इस कारण बालक के प्रारंभिक आंकलन किये जाते समय अधिनियम में प्रयुक्त प्रत्येक प्रावधानों एवं शब्दों को उसके संपूर्ण अर्थ में लिया जाना चाहिए ताकि वर्ष 2015 की अधिनियम का उद्देश्य प्राप्त हो सके। नियम 10ए(3) यह प्रावधान करती है कि प्रारंभिक आंकलन के समय जब तक अन्यथा साबित न हो बालक को निर्दोष होना उपधारित की जानी चाहिए। इस प्रकार किशोर की समझदारी, कारित की गई अपराध के परिणामों को आंकलन करते समय आंकलन समिति या परिषद की सदस्य की मानसिकता ऐसा होना चाहिए कि जो किशोर उसके समक्ष उपस्थित है, वह निर्दोष है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. वर्ष 2016 की नियमावली की नियम 10 ए का प्रावधान जो परिषद के द्वारा जघन्य अपराध के संबंध में प्रारंभिक आंकलन की प्रक्रिया है, प्रावधानित करती है कि जघन्य अपराध के मामलों में प्रारंभिक आंकलन किये जाने के लिए परिषद मनोविज्ञानी या मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य ऐसे विशेषज्ञों जो कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बालक के संबंध में कार्य करने का अनुभव रखते हैं, उसने सहायता ले सकते हैं। वर्ष 2016 की नियमावली 10 ए (2) में प्रयुक्त शब्द मनोविज्ञानियों, मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों बहुवचन में

है। वर्ष 2016 की नियमावली की नियम 10 ए में प्रयुक्त भाषा से यह प्रतीत होता कि विधि से संघर्षरत किशोर की परीक्षण के लिए विधि निर्माताओं का आशय एक ही मनोविज्ञानी या मनोसामाजिक कार्यकर्ता या विशेषज्ञ न होकर एक से अधिक का रहा है जबकि परिषद द्वारा विचार में लिया गया तथा अभिलेख में मौजूद प्रतिवेदन मात्र एक ही मनोविज्ञानी का प्रतिवेदन है। मनोविज्ञानी का प्रतिवेदन कथित रूप से कारित अपराध के परिणामों के संबंध में किशोर के समझदारी को उल्लेख नहीं करता है।

17. यह अपील वर्ष 2015 की धारा 101 के प्रावधान के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। धारा 101 की उपधारा (2) प्रावधान करती है कि अपील को निराकृत करने में कथित धारा के अंतर्गत परिषद के द्वारा आदेश पारित करने के लिए जिन अनुभवी मनोविज्ञानी तथा चिकित्सकीय विशेषज्ञों की सहायता ली गई है उससे भिन्न मनोविज्ञानी, चिकित्सकीय विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है। इस प्रावधान में भी विशेषज्ञों को बहुवचन में संदर्भित किया गया है तथा ऐसे विशेषज्ञों जिनकी सहायता प्राप्त की गई है उनसे भिन्न मनोविज्ञानी एवं चिकित्सकीय विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करने की अपीलीय न्यायालय की अधिकारिता आगे प्रावधानित है। हस्तगत मामले में वर्ष 2015 के उक्त कथित प्रावधान का अपीलीय न्यायालय ने प्रयुक्त नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. प्रारंभिक आंकलन का उद्देश्य ऐसे अपराध कारित करने के लिए विधि से संघर्षरत किशोर की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता का आंकलन करना मात्र नहीं

है बल्कि ऐसे अपराधों की परिणामों तथा परिस्थितियौं जिसमें वह कथित अपराध कारित करता है, उसे समझने की उसकी क्षमता का भी आंकलन करना होता है। प्रकरण में मनोविज्ञानी द्वारा प्रस्तुत तथा परिषद एवं अपीलीय न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन इस विशिष्ट आंकलन को विशिष्ट रूप से उल्लेखित नहीं करती है।

19. ऊपरवर्णित विवेचना से मैं इस मत का हूँ कि इस न्यायालय की राय में आलोच्य आदेश दिनाँक 19.10.2023 (एनेक्सर पी–1) विधि की दृष्टि में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है तथा इस कारण उसे अपास्त किया जाता है। यह प्रकरण अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वर्ष 2015 की धारा 101 की उपधारा (2) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः नये सिरे से अपील को निराकृत करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. इस प्रकार, पुनरीक्षण आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

सहीं/–
(पार्थ प्रतीम साहू)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur